



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112021-230931
CG-DL-E-03112021-230931

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4209]
No. 4209]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4570(अ).— केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि “पारादीप हल्दीया-दुर्गापुर पाइपलाइन संबद्धन परियोजना तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार” अन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन हेतु अंचल-सकरा, जिला- मुजफ्फरपुर, राज्य-बिहार में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है उपयोग का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के अन्दर भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए, श्री अरुण कुमार झा, सक्षम प्राधिकार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, निर्माण कार्यालय पटना, कालिकेत नगर, बेली रोड, पटना पिन-801503, बिहार को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

अंचल- सकरा		जिला- मुजफ्फरपुर		राज्य-बिहार	
मौजा/ थाना नं0	सर्वे/प्लॉट सं.	सब-डीव-सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
गनीपुर बेझा थाना नं0- 951	3974		00	01	41
	3973		00	03	33
	1506		00	02	79
	1091		00	05	18
	1143		00	07	69
	1146		00	06	33
रहीमपुर जीवन उर्फ रकसा थाना नं0- 948	126		00	00	81
	128		00	04	65
बाजी बुजुर्ग थाना नं0- 848	266		00	01	14
	901		00	04	65
	906		00	06	07
	270		00	06	80
	266		00	07	37
मथुरापुर थाना नं0- 806	328		00	00	81
मरबन उर्फ आरिजपुर थाना नं0- 458	946		00	01	52
	945		00	03	65
	942		00	05	67
अदवारा उर्फ चिन्तामनपुर थाना नं0- 456	201		00	01	96
सुसता थाना नं0- 455	336		00	04	74
	324		00	08	12
मझौलीपचदही थाना नं0- 454	403		00	45	90
	402		00	02	63
	322		00	27	34
	326		00	02	17
	325		00	00	40
	328		00	00	40
मझौलीपचदही थाना नं0- 454	304		00	01	77
	303		00	09	80
	264		00	01	81
	265		00	02	91
	178		00	03	15
	173		00	01	15

	29		00	02	11
	38		00	15	41
	21		00	00	40
	20		00	00	93

[फा.आर-11025(11)/235/2017-ओआर-1/ई-13716]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th October, 2021

S.O. 4570(E).— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited in Block-Sakra, District.-Muzaffarpur in the State of Bihar for 'Proposed Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG pipeline and its extension upto Patna and Muzaffarpur' for the transportation of LPG Product;

And, whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land, to Shri Arun Kumar Jha, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Construction Office Patna, Kaliket Nagar, Bailey Road, Patna, Pin No.-801503 (Bihar)

SCHEDULE

Block-Sakra		Dist.-Muzaffarpur		State-Bihar	
Mouja/Thana No.	Survey/Plot No.	Sub-Div.-No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. mtr
1	2	3	4	5	6
Genipur Bojja Thana no. 951	3974		00	01	41
	3973		00	03	33
	1506		00	02	79
	1091		00	05	18
	1143		00	07	69
	1146		00	06	33
Rahimpur Jeewan Urf Ruksha Thana no.948	126		00	00	81
	128		00	04	65
Bazi Bujurg Thana No.848	266		00	01	14
	901		00	04	65
	906		00	06	07
	270		00	06	80
	266		00	07	37
Mathurapur Thana No.806	328		00	00	81
Marban Urf Arijpur	946		00	01	52
	945		00	03	65

Thana no. 458	942		00	05	67
Adwara Urf Chintamanpur Thana No.456	201		00	01	96
Susta Thana No.455	336		00	04	74
	324		00	08	12
Majholipachdahi Thana No.454	403		00	45	90
	402		00	02	63
	322		00	27	34
	326		00	02	17
	325		00	00	40
	328		00	00	40
	304		00	01	77
	303		00	09	80
	264		00	01	81
	265		00	02	91
Majholipachdahi Thana No.454	178		00	03	15
	173		00	01	15
	29		00	02	11
	38		00	15	41
	21		00	00	40
	20		00	00	93

[F.No.R-11025(11)/235/2017-OR-1/E-13716]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.